



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255739
CG-DL-E-25072024-255739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2816]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2816]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2953(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1959 तारीख 08/05/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH354 के कि.मी. 0 से कि.मी.44.154 (सद्म अजनाला , डेरा बाबा नानक रोड ,अजनाला , पंजाब) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "तारीख 17/05/2024" को "द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" और "जगबानी (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH-354 के कि.मी. 0 से कि.मी.44.154 (उप मंडल मजिस्ट्रेट अजनाला डेरा बाबा नानक रोड, अजनाला, पंजाब) के अर्जन की जाने वाली रचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: अमृतसर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अजनाला					
गांव का नाम: तेली चक					
1	9//18/1	निजी	कृषि	0.0101	बलविंदर सिंह ऍस्/ओ मोहन सिंह
गांव का नाम: हर्षा छिना					
2	0//258	निजी	कृषि	0.0455	काका सिंह ऍस्/ओ किरपाल सिंह
3	138//27/6	निजी	कृषि	0.0126	इंद्रजीत सिंह ऍस्/ओ कश्मीर सिंह ऍस्/ओ हरनाम सिंह 1/3पार्ट प्रीतम सिंह ऍस्/ओ हरनाम सिंह ऍस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट लखविंदर सिंह ऍस्/ओ हरनाम सिंह ऍस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट
4	138//27/7	निजी	कृषि	0.0227	इंद्रजीत सिंह ऍस्/ओ कश्मीर सिंह ऍस्/ओ हरनाम सिंह 1/3पार्ट

					प्रीतम सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट लखविंदर सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट
5	138//27/8	निजी	कृषि	0.0758	इंद्रजीत सिंह एँस्/ओ कश्मीर सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह 1/3पार्ट प्रीतम सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट लखविंदर सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट
6	138//27/9	निजी	कृषि	0.1694	इंद्रजीत सिंह एँस्/ओ कश्मीर सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह 1/3पार्ट प्रीतम सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट लखविंदर सिंह एँस्/ओ हरनाम सिंह एँस्/ओ कहरक सिंह 1/3 पार्ट
गांव का नाम: बोपाराय बाज सिंह					
7	19//3/1/2	निजी	कृषि	0.0379	बलजिंदर सिंह एँस्/ओ सुखविंदर सिंह
गांव का नाम: टोला नंगल					
8	31//23	निजी	कृषि	0.0455	सर्बजीत सिंह एँस्/ओ जगदीश सिंह एँस्/ओ अजैब सिंह 363/1388 पार्ट परमजीत सिंह एँस्/ओ जगदीश सिंह एँस्/ओ अजैब सिंह 363/1388 पार्ट जोगिंदर कौर विधवा अंग्रेज सिंह एँस्/ओ अजैब सिंह 299/2082 पार्ट राशपाल सिंह एँस्/ओ अंग्रेज सिंह

					ऐस्/ओ अजैब सिंह 1/6 पार्ट हरपाल सिंह ऐस्/ओ अंग्रेज सिंह ऐस्/ओ अजैब सिंह 1/6 पार्ट
9	58//2	निजी	कृषि	0.0658	बलविंदर सिंह ऐस्/ओ बख्सीस सिंह
10	75//6/2	निजी	कृषि	0.0405	काका सिंह ऐस्/ओ किरपाल सिंह ऐस्/ओ गंडा सिंह
11	75//6/4	निजी	कृषि	0.0177	काका सिंह ऐस्/ओ किरपाल सिंह ऐस्/ओ गंडा सिंह
कुल योग				0.5435	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2953(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.1959(E).8th May 2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-354 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 44.154 (Sub-Divisional Magistrate Ajnala, Dera Baba Nanak Road, Ajnala, Punjab) in the district of AMRITSAR in the State of PUNJAB,

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Indian Express (English)**” and “**Jagbani (Punjabi)**” both dated **17th May 2024** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-354 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 44.154 (Sub-Divisional Magistrate Ajnala, Dera Baba Nanak Road, Ajnala, Punjab) in the district of AMRITSAR in the State of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: AMRITSAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ajnala					
Village: Teli Chak (318)					
1	9//18/1	Private	Agriculture	0.0101	Balwinder Singh S/o Mohan Singh
Village: Harsha Chhina					
2	0//258	Private	Agriculture	0.0455	Kaka Singh S/o Kirpal Singh
3	138//27/6	Private	Agriculture	0.0126	Inderjit Singh S/o Kashmir Singh S/o Harnam Singh 1/3Part Pritam Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part Lakhwinder Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part
4	138//27/7	Private	Agriculture	0.0227	Inderjit Singh S/o Kashmir Singh S/o Harnam Singh 1/3Part Pritam Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part Lakhwinder Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part
5	138//27/8	Private	Agriculture	0.0758	Inderjit Singh S/o Kashmir Singh S/o Harnam Singh 1/3Part Pritam Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part Lakhwinder Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part
6	138//27/9	Private	Agriculture	0.1694	Inderjit Singh S/o Kashmir Singh S/o Harnam Singh 1/3Part Pritam Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part Lakhwinder Singh S/o Harnam Singh S/o Kahrk Singh 1/3 Part
Village: BoparaiBaj Singh					

7	19//3/1/2	Private	Agriculture	0.0379	Baljinder Singh S/o Sukhwinder Singh
Village: TolaNangal					
8	31//23	Private	Agriculture	0.0455	Sarbjeet Singh S/o Jagdish Singh S/o Ajaib Singh 363/1388 Part Parmjeet Singh S/o Jagdish Singh S/o Ajaib Singh 363/1388 Part Joginder Kaur Widow Angrej Singh S/o Ajaib Singh 299/2082 Part Rashpal Singh S/o Angrej Singh S/o Ajaib Singh 1/6 Part Harpal Singh S/o Angrej Singh S/o Ajaib Singh 1/6 Part
9	58//2	Private	Agriculture	0.0658	Balwinder Singh S/o Bakhsis Singh
10	75//6/2	Private	Agriculture	0.0405	Kaka Singh S/o Kirpal Singh S/o Ganda Singh
11	75//6/4	Private	Agriculture	0.0177	Kaka Singh S/o Kirpal Singh S/o Ganda Singh
Total				0.5435	

[F. No. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.